न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/04/2024	2024/10	05.03.2024	30.06.2025

1. दलीप कौर पुत्री श्री सोहनसिंह पत्नी श्री बलवन्त सिंह जाति मजहबी सिक्ख निवासी ग्राम सतवाडी तहसील पहाडी हाल जिला डीग राजस्थान जरिये मुख्त्यार आम बलदेव सिंह पुत्र श्री चिम्मन सिंह जाति मजहबी सिक्ख निवासी सरदार कॉलोनी एरोड्रम रोड, अलवर राज।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. तहसीलदार गोविन्दगढ तहसील गोविन्दगढ, जिला अलवर राज0।

—रेस्पोडेन्ट

न्या0 अति0 जि0 कलै0 एवं अति0 जि0 मजि0 प्रशासन (द्वितीय) अलवर राजस्थान सरकार

अपील विरूद्ध निर्णय उप तहसीलदार गोविन्दगढ इंतकाल संख्या 425 दिनांक 17.07.1989।

उपस्थितः—

01. श्री रजनीश कौशिक, रामबाबू कौशिक — वकील अपीलाण्ट
02. श्री दीपक मीना, राजकीय अभिभाषक — वकील रेस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट्स ने यह अपील विरूद्ध निर्णय उप तहसीलदार गोविन्दगढ इंतकाल संख्या 425 दिनांक 17.07.1989 वाके ग्राम भैंसडावत तहसील गोविन्दगढ से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह निर्णय उप तहसीलदार साहब गोविन्दगढ दिनांक 17/07/1989 खिलाफ कानून व विधि विरुद्ध है जिससे अपास्त किये जाने योग्य है। अपील हाजा पर न्यायालय शुल्क दो रुपया व तलबाना सशुल्क नियमानुसार प्रस्तुत है। अपीलाण्ट को उक्त इन्तकाल की जानकारी दिनांक 21/02/2024 को पटवारी हल्का के द्वारा हुई जिसकी नकल के लिये प्रार्थना पत्र दिनांक 22/02/2024 को प्रस्तुत किया गया जिसकी नकल दिनांक 22/02/2024 को प्राप्त हुई जिसके बाद वकील साहब से सलाह मशवरा किया गया, जिससे यह अपील तारीख जानकारी दिनांक 22/02/2024 से अन्दर अवधि प्रस्तुत है। आराजी खसरा नम्बर 165 रकबा 10 बिस्वा, 180 रकबा 04 बिस्वा, 192 रकबा 08 बिस्वा, 193 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, 206 रकबा 17 बिस्वा, 241 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, 287 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, 288 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, 297 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, 298 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, 320 रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा वाके गाम भैंसडावत तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर का खातेदार सोहनसिंह पुत्र बूटा सिंह जाति मजहबी सिक्ख निवासी गग्राम भैंसडावत था कि जो अपीलाण्ट का पिता था। जिसके स्वर्गवास हो जाने के बाद अपीलाण्ट, जोगेन्द्र सिंह, इन्दर सिंह, चरणजीत सिंह पुत्रान स्वः श्री सोहनसिंह के वारिस हुये ओर मृतक सोहनसिंह की उक्त आरी पर बहिस्से बराबर काबिज रहकर कास्त करते चले आ रहे है। जोगेन्द्र सिंह, इन्दर सिंह व चरणजीत सिंह जो अपीलाण्ट के भाई ने मिल्लत करके इन्तकाल संख्या 425 में अपना नाम दर्ज करा लिया जबकि अपीलाण्टा मृतक सोहनसिंह की पुत्री है और बहिस्से बराबर काबिज आराजी है।

उप तहसीलदर गोविन्दगढ द्वारा उक्त इन्तकाल दर्ज करते समय वारिसानो की बाबत कतई जानकारी नही की, जबकि अपीलाण्ट मृतक सोहनसिंह की पुत्री है और उसका भी मृतक सोहन सिंह की आराजी मे 1/4 भाग है। राजस्व न्यायालय उप तहसीलदार गोविन्दगढ को इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व जानकारी करनी चाहिए थी मगर उन्होंने इस बाबत कोई जानकारी नही की गई जिससे अपीलाण्ट का नाम बतौर वारिस इन्काल मे दर्ज नही हो सका। जबकि अपीलाण्ट मृतक सोहनसिंह

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

ही पुत्री/वारिस है। मिन अपीलाण्ट के नाम मृतक सोहनसिंह की विरासत का इन्तकाल दर्ज नही होने से मिन अपीलाण्ट के हकूक जायल होते है। उप तहसीलदार गोविन्दगढ द्वारा इन्तकाल के नियमों का कतई पालन नही किया गया जिससे भी इन्तकाल दिनांक 17/07/1989 अपास्त किये जाने योग्य है। यहकि शेष वजुहात वक्त बहस मौखिक अर्ज कर दिये जावेगे।

अतः श्रीमानजी की सेवा मे अपील अपीलाण्ट पेश कर निवेदन है कि अपील इन्तकाल स्वीकार फरमाई जाकर इन्तकाल संख्या 425 दिनांक 17/07/1989 में अपीलाण्ट का नाम जोडे जाने की आज्ञा सादिर फरमाई जावे। तथा उक्त आराजी में अपीलाण्ट का 1/4 हिस्सा दर्ज फरमाये जाने की आज्ञा सादिर प्रदान की जावे। आपकी अति कृपा करे। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित।

वकील उभय पक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

अपीलांट वकील द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया एवं अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जाहिर किया है कि नामान्तकरण संख्या 425 दि0 17.07.1989 वाके ग्राम भैंसडावत में तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय में कोई अनियमितता एवं विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। राजकीय अभिभाषक द्वारा यह भी कथन किया गया कि अपील को लगभग 34 साल 6 माह की देरी से पेश किया है तथा अपीलांट द्वारा अपील को देरी से पेश करने के समर्थन में कोई खास तथ्य भी अपील में पेश नहीं किये हैं। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है, खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन–मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.07.1989 के विरूद्व दिनांक 29.02.2024 को पेश की गयी है जो करीब 34 साल 6 माह के विलम्ब से पेश की गई है। जो कि काफी साल बाद पेश की है। अपीलाधीन आदेश को व्यतीत हुए करीब 34 साल 6 माह के समय को माफ करने हेतु दिन–प्रतिदिन का हिसाब दिया जाना चाहिए जबकि उक्त समय को कन्डोन किए जाने हेतु अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र में कोई खास तथ्य/पर्याप्त कारण पेश नहीं किये गये जो यह दर्शाते हों कि अपीलांट को निर्धारित समय सीमा के भीतर वाद या अपील दायर करने से रोकते हों। अपील अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर्याप्त कारण एवं ठोस साक्ष्य/सबूत के अभाव में खारिज किया जाता है। अपील अपीलांट मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गोविन्दगढ द्वारा दर्ज व स्वीकार नामान्तकरण संख्या 425 निर्णय दिनांक 17.07.1989 वाके ग्राम भैंसडावत तहसील गोविन्दगढ को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

राजस्थान सरकार